



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 532, 533, 534, 535 व 536/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मै० नेशनल इंजीनियरिंग इण्ड. लि., जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय वाणिज्यिक कर जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल – सदस्य</u> <u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य</u></p> <p>आज नियत तिथि पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री आर.सी.शाह की ओर से विद्वान करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2015 प्रस्तुत किये, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरणों को वे आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस हेतु प्रकरणों को वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपीलों को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रों के आधार पर हस्तगत अपीलों विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 532, 533, 534, 535 व 536/2015/जयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </div> </div>	